भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 1439

10 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए

पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत आवेदन

1439. श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री पी.पी. चौधरी:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने पाया है की पीएम स्वनिधि योजना के तहत पथ विक्रेताओं से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और गत वर्ष की तुलना में इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;
(ग) क्या सरकार ने इतनी अधिक संख्या में प्राप्त आवेदनों से निपटने की कोई योजना बनाई है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और सभी आवेदनों को निपटाने की समय-सीमा क्या है;
(ड.) विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सरकार का इस योजना के तहत उन पथ विक्रेताओं को समर्थन देने का विचार है जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपनी आजीविका खो दी हैं; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): जी,हाँ। प्रधानमंत्री पथ-विक्रेता आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वानिधि) योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की संख्या में इसके कार्यान्वयन के दौरान बढ़ोतरी हुई है।

(ख): 31.03.2021 तक प्राप्त पात्र आवेदनों की तुलना में 02.02.2022 तक प्राप्त पात्र आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है:

31.03.2021 तक प्राप्त संचयी पात्र आवेदन	02.02.2022 तक प्राप्त संचयी पात्र आवेदन
32,50,702	44,47,611

(ग) और (घ): एक एंड टू एंड आईटी प्लेटफार्म में www.pmsvanidhi.mohua.gov.in पोर्टल और योजना के कार्यान्वयन के लिए विकसित किया गया मोबाइल एप शामिल है। इसने बड़ी संख्या में आवेदनों पर कार्रवाई करना आसान बना दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग के अधिकारियों द्वारा राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और ऋणदाता संस्थाओं के साथ नियमित संयुक्त समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं जिसमें गहन समन्वय में कार्य करने और पात्र आवेदनों को संस्वीकृत करने और धनराशि शीघ्र संवितरित करने के लिए अनुदेश दिए गए हैं।

(ड.): पीएम स्वनिधि योजना के तहत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि निम्नानुसार है:

वर्ष	आवंटित धनराशि (करोड़ रुपये में)
2020-21*	113.79
2021-22	300.00

* योजना 1 जून, 2020 से शुरू हुई।

(च) और (छ): पीएम स्वानिधि योजना शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य पथ विक्रेताओं के कारोबार को जो कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो गए थे, पुन: शुरू करने के लिए उनको जमानत मुक्त कार्यशील पूंजीगत ऋण की सुविधा प्रदान करना है। योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

i. पूर्व ऋणों की अदायगी पर एक वर्ष की अवधि के लिए ₹10,000, दूसरी और तीसरी किश्तों में क्रमशः ₹20,000 और ₹50,000 तक बढ़े हुए ऋण के साथ, जमानत मुक्त कार्यशील पूंजीगत ऋण की सुविधा प्रदान करना।
ii. 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित अदायगी को प्रोत्साहित करना; तथा
iii. प्रति वर्ष ₹1,200 तक के कैश बैकअप के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करना।

02 फरवरी, 2022 तक कुल 28,26,446 पथ विक्रेताओं को पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

दिनांक 10 फरवरी, 2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1439 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएम स्वनिधि योजना के तहत संवितरित ऋण/लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला राज्य-वार (02 फरवरी, 2022 तक) ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लाभार्थी पथ-विक्रेताओं की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	474
आंध्र प्रदेश	1,82,051
अरुणाचल प्रदेश	2,524
असम	38,002
बिहार	45,534
चंडीगढ़	3,246
छत्तीसगढ	45,964
दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	1,148
दिल्ली	39,980
गोवा	1,223
गुजरात	1,75,246
हरियाणा	23,655
हिमाचल प्रदेश	3,296
जम्मू और कश्मीर	13,645
झारखंड	27,155
कर्नाटक	1,36,801
केरल	9,113
लद्दाख	259
मध्य प्रदेश	4,47,801
महाराष्ट्र	1,92,232
मणिपुर	8,381
मेघालय	496
मिजोरम	457
नागालैंड	1,479
ओडिशा	33,823
पुदुचेरी	1,243
पंजाब	38,131
राजस्थान	66,774
सिक्किम	1
तमिलनाडु	1,56,802
तेलंगाना	3,46,463
त्रिपुरा	2,895
उत्तर प्रदेश	7,57,176
उत्तराखंड	10,300
पश्चिम बंगाल	12,676
कुल	28,26,446